LOK SABHA

Wednesday, August 28, 1974
Bhadra 6, 1896 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MR SPEAKER *in the Chair*]

Re: SUSPENSION OF QUESTION HOUR

SOME HON MEMBERS *rose*—

श्री मधु लिमये (बांका): अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 388 के तहत एक प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं। मुझे प्रस्ताव मूव करने दीजिए। **(व्यवधान)** मैं उनके कारण पेश करता हूं।

MR. SPEAKER: All of you may please sit down.

This is a question regarding Question Hour being dispensed with. Notice has been given by Shri Madhu Limaye, Shri Jyotirmoy Bosu, Shri Shyamnandan Mishra and Shri Vajpayee It is for the House to decide. I have no objection.

श्री मधु लिमये (बांका) : आप पहले प्रस्ताव पेश करने दीजिए और सभेर मे अर्ज करने दीजिए। **(व्यवधान)**

MR SPEAKER: I am not calling anybody. All of you may please sit down first.

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): On the 30th ...

MR SPEAKER: No need for any explanation. You just move your motion.

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur): Those who have given notice of motions you kindly permit them to move their motions.

SHRI VASANT SATHE (Akola): Even for moving the motion the consent has to be given. You should consider whether consent is to be given. What is the urgency? No case has been made out for dispensing with the Question Hour. In one hour heavens are not going to fall.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर): पहले आप केस बनाने का मौका दीजिए फिर आप तय कर सकते हैं यह सदन तय कर सकता है। हमारा मोशन आप स्वीकार करें या न करें लेकिन अर्जेन्सी क्या है वह हम आपको बताना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह बड़ी मजेदार बात है आप कहते हैं क्वैश्चन आवर डिस्पेन्स विद हो। क्वैश्चन आवर डिस्पेन्स विद करने के बारे मे बहस की जाये बहस एक घंटा चले तो वैसे ही क्वैश्चन आवर डिस्पेन्स विद हो जायेगा। आप सीधे अपने मोशन को मूव कीजिए और मैं हाउस में वोट के लिए उसको पुट कर दूंगा।

SHRI JYOTIRMOY BOSU: I move the motion under Rule 388 seeking your consent. You have given the consent. Thank you so much. I move:

> "That the Question Hour be suspended in its application to my adjournment motion and the privilege motion that are before the House"

In support of my notice I have to say a few things. I will take two minutes

श्री मधु लिमये : किस बात पर हाउस अपना निर्णय देगा जब तक कि हम बतायेंगे नहीं ? तीन लोगों ने नोटिस

दी है तो आप हर एक को दो-दो, तीन-तीन मिनट दीजिए और इसमें दस मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे ।

MR. SPEAKER: I have no objection for two minutes each.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: On the 30th March 1974 the Blitz in a news item has revealed that the Foreign Trade Ministry gave licences to seven debarred firms on the recommendation of 21 M Ps. Now, some official of the Foreign Trade Ministry took pains to question the M.Ps. who had signed and many of them had denied that they had signed. But one M.P.—I would like to stand corrected—Shri Tulmohan Ram, it seems—it can be verified and the truth established—has said that he had signed the document for a consideration of Rs. 15 lakhs I request that a committee be appointed and in the meantime, the files be seized

In that context yesterday .

MR. SPEAKER: No need of a debate

SHRI JYOTIRBOY BOSU: Yesterday in the other House the Commerce Minister.. .

MR. SPEAKER: You just move your motion No need of a debate.

SHRI JYOTIRMOY BOSU The Commerce Minister has given the names of the 21 M.Ps ..

MR. SPEAKER: No need of a debate at this stage.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: .. and said that the memorandum was received by the Commerce Ministry.

I want to quote one thing. You say what is the urgency. I may make it clear that there was some defect in the original notification and the defect was rectified on the basis of the memorandum The Presiding Officer Conference also has clearly laid down....

MR. SPEAKER: I am not allowing all that. I have called the next member; Shri Shyamnandan Mishra.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA (Begusarai): My submission is that the Question Hour is indeed required to be suspended in view of the developments that took place yesterday in the other House affecting the honour and dignity of the Members of this House as well as affecting the honour and dignity of the entire House as a whole....

SHRI SAMAR GUHA (Contai): and the Chair too.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: I would, therefore, request my colleagues on the other side to give the highest primacy to the discussion of it It is in fact out of consideration for their honour because their members happen to be involved in this—none of the Members on this side of the House is involved In this it is out of consideration for their honour and dignity.

We ask you, Mr Speaker, to permit us to proceed with this matter at once and not take up the Question Hour in a routine way. When I said that it is the honour of the Members of the House or the honour of the House itself which is involved, I would also say that it is the honour of the Government itself which is involved in this. The House will bear with me if I say that statistically four to five per cent of the Members of the House are involved If 20 or 25 Members are involved, it is five per cent of the Members who are involved in this. To-day the people say that we are interested in some kind of jobbery and that we are all interested in the promotion of liquor which is against the Directive Principles of our Constitution. I would like you to consider whether this matter should not be proceeded with at once.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, चूंकि यह असाधारण स्थिति है, एक नार्मल सिचुएशन है इसलिए यह प्रस्ताव आ रहा है। अधिकांश सदस्यों ने सी० बी० आई० को कहा था कि हमारे हस्ताक्षर जेनुइन नहीं है उस के बावजूद व्यापार मंत्री श्री चट्टोपाध्याय ने इन सदस्यों का नाम राज्य सभा में लिया। इन में से 18 लोगों ने बाद में वक्तव्य दिया है और कहा है कि हमारा नाम उस में नहीं था। लेकिन एक सदस्य के बारे में मुझे जानकारी है कि उन्होंने पी० बी० आई० को कहा है, श्री तुल मोहन राम ने, कि मेरे सिगनेचर्स हैं। इसलिए इस में दो सवाल उत्पन्न हो जाते हैं। बाकी सदस्य जिन के वास्तव में हस्ताक्षर नहीं हैं उन के ऊपर लांछन लग गया है, और जिन के वास्तव में हस्ताक्षर हैं उन्होंने न केवल इस सदन का अपमान किया है बल्कि ऐसा गन्दा काम किया है दूसरे सदस्यों का नाम उसमें ले कर उन्होंने पूरे सदन का अपमान किया है।

अध्यक्ष महोदय, आज मुझे खबर मिली है यह जो 7 लोग हैं जिन को तकरीबन 30 लाख के लाइसेंसेज़ दिये गये हैं यह बड़े ही शेडी कैरेक्टर्स हैं और यह सारे नियमों को तोड़ कर लाइसेंसों में ट्रेफ़िकिंग कर रहे हैं। यह बहुत बड़ा जुर्म है, और यह सब आम कर रहे हैं। तो अध्यक्ष महोदय, यह कोई साधारण स्थिति है? एक सदस्य कबूल करता है कि हमारे हस्ताक्षर हैं, बाकी सदस्य कहते हैं कि हमारे हस्ताक्षर हैं ही नहीं। तो फ़ोरजरी की गई है एक सदस्य द्वारा और एक मंत्री द्वारा जो पहले विदेश व्यापार मंत्रालय के प्रमुख थे, श्री ललित नारायण मिश्र। इसलिए इस मामले की जांच होनी चाहिए। तत्काल बहस आज चालू कर दीजिए। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि जल्दी में फ़ैसला कर दीजिए। सब लोगों को सुनिये, इन लोगों के व्यक्तिगत स्पष्टीकरण भी सुन लीजिए। 18 लोगों ने कहा है कि हमारे हस्ताक्षर जैनुइन नहीं हैं। माननीय साठे साहब परेशान नहीं हैं। तो कोई बात नहीं है। लेकिन हम लोग परेशान हैं।

SHRI VASANT SATHE (Akola): Sir, I am as much anxious as he is. Should we suspend the Question Hour even for that?

श्री मधु लिमये 18 मेम्बर्स के हस्ताक्षर फ़ोर्ज करना कोई मामूली बात है? यह एक ऐक्स्ट्रा आर्डिनरी सिचुएशन है।

श्री वसन्त साठे : बदनाम करना चाहते हैं, यही इन का मेन ऑब्जेक्ट है।

SHRI MADHU LIMAYE: Please do not try to shield Shri Mishra and his henchmen in this House.

SHRI VASANT SATHE: Your job is to raise charges against everyone. Our job is to say the honour of this House. *(Interruptions)*.

श्री मधु लिमये : श्री कानूनगो ने भी यही कहा था और मैं विडिकेट हो गया।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अध्यक्ष महोदय, यह पार्टी का सवाल नहीं है, और मैं अपने कांग्रेसी मित्रों से कहना चाहता हूं कि जो भी प्रश्न उठ रहा है वह सारे सदन की गरिमा का सवाल है। अगर इस सदन का एक भी सदस्य समाचार-पत्रों में विवाद का विषय बनता है, उस के आचरण पर आक्षेप किया जाता है तो यह सारे सदन के लिए लांछन की बात है और जितनी जल्दी वह सदस्य जांच के द्वारा अपने को सारे आरोपों से मुक्त करे उतना उन के लिए भी अच्छा है, इस सदन के लिए भी और

पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी के लिए भी वह अच्छा है। आज समाचार-पत्रों के पहले पृष्ठ पर 21 मेम्बरों के नाम छपे हैं लोक सभा के। इसलिए नहीं कि कल उन्होंने चर्चा में बहुत अच्छा भाषण दिया था, इसलिए नहीं कि कल उन्होंने लोक सभा की कार्यवाही में कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन किया था जिसका अखबार उल्लेख करते। लेकिन इसलिए कि उन के नाम लिए गये, दूसरे सदन में यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने लाइसेंस दिलवाये। फिर यह कहा गया कि उन में से 18 दस्तखत जाली हैं। फिर यह कहा गया कि सी० बी० आई० इन्क्वायरी कर रही है। और सब से बड़ी बात यह है कि मेम्बर्स ने कहा कि उन के दस्तखत जाली हैं। अभी जांच होना बाकी है कि वह जाली है या नहीं। मगर विदेश व्यापार मंत्री को बधाई देने के बजाय प्रधान मंत्री ने उन को बुलाकर डाटा पार्लियामेंट के सामने तथ्यों को रखने के लिए। अध्यक्ष महोदय, यह अखबार में निकला है, अगर प्रधान मंत्री चाहें तो इन्कार कर सकती हैं। आखिर विदेश व्यापार मंत्री ने अपना कर्तव्य किया। अगर कोई पार्लियामेंट का मेम्बर गलत तरीके से लांछित हुआ है तो क्या उस का नाम नहीं बताया जाएगा? इतना ही नहीं जिन के नाम हैं उन्होंने विदेश व्यापार मंत्री को धमकाया कि अगर हमारे नामों के बारे में सफाई नहीं करेंगे तो हम आप के इस्तीफे की मांग करेंगे। चूंकि मेम्बर इस सदन के हैं इसलिए आप एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनायें जो सारे मामले की जांच कर परन्तु रिपोर्ट दे, और यह सदस्य अगर सचमुच में निर्दोष है तो जल्दी से जल्दी इन की निर्दोषिता प्रमाणित कर दी जाय। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि आप प्रश्न काल को स्थगित कर दें।

SHRI BHAGWAT JHA AZAD (Bhagalpur): We want to say that we are also equally concerned about it, because a Member's signature is forged anybody's signature can be forged. We are also serious about it and we also want to raise it. But why should the Question Hour be suspended for that purpose? Let the Question Hour go on. After that, the matter may be raised. Why should we suspend the Question Hour for this? We are also equally concerned about it. We have taken the matter more seriously than the hon. Members opposite. But let the Question Hour go on, and after that, the matter may be raised.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH (Nandyal): It is a serious matter, and just as the Members of the Opposition are concerned, we are also equally concerned about it. They have said that it is not to be treated as a party affair. My fear is that they are converting it into a party affair.

So, my submission is that there is no urgent necessity for suspending the Question Hour and breaking all the precedents. Let the Question Hour be over. We shall be at one with them in demanding a proper inquiry into this matter.

अध्यक्ष महोदय : अगर ऐसे ही बहस कर के सारा कश्चेश्चन आवर खत्म कर देना है तो वह सस्पेंशन के बराबर ही हो जायगा।

What is the sense of the House?

SHRI VASANT SATHE: No, it should not be suspended.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI K. RAGHURAMAIAH): No suspension of the Question Hour

SOME HON. MEMBERS: No suspension of Question Hour.